भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 762
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में एआईबीपी

762 श्री अशोक कुमार रावत:
श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और मिश्रिख संसदीय क्षेत्रों में त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआईबीपी) के तहत कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निधि के उपयोग और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथिनुसार लाभार्थियों की संख्या सहित आवंटित केंद्रीय निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी), के वर्ष 2016 में शुभारंभ के बाद निन्नावे (99) चल रही मुख्य/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को उनके कमांड क्षेत्र विकास कार्यों के साथ सुनिश्चित वित्त सहायता हेतु प्राथमिकृत किया गया था।

हांलाकि, उपरोक्त परियोजनाओं में से किसी का भी कमांड उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर या मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में नहीं है।

******